

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 52/18

भीमसेन पुत्र रामकुमार जाटव आयु 18 वर्ष
निवासी ग्राम हरीराम का पुरा थाना मालनपुर,
तहसील गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

—अनावेदक

15-02-2018

आवेदक/आरोपी भीमसेन की ओर से श्री जी०एस० निगम अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मालनपुर से अपराध क्रमांक 34/18 अंतर्गत धारा 327, 294 व 506 भा०द०सं० की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त भीमसेन की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम ने संबंधित जेएमएफसी न्यायालय से आवेदन पत्र धारा 437 दं०प्र०सं० निरस्त हो जाने के उपरांत प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री जी०एस० निगम द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि पुलिस थाना मालनपुर ने आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया है, जबकि आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक कभी भी शराब का सेवन नहीं करता है। आवेदक 18 वर्षीय मजदूर पेशा नवयुवक है। आवेदक दिनांक 12.02.2018 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक स्थानीय निवासी है तथा अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। अभियोजित अपराध जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे पाया जाता है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 11.02.18 को शाम करीब 5 बजे फरियादी गजेंद्र सिंह सरकारी स्कूल के

पास हरीराम पुरा में खड़ा था, उसी समय अभियुक्त भीमसेन आया और बोला मादरचोद आज मौसम ठण्डा है, उसे दारू पीना है, उसे दारू पीने के लिये 300 रुपये दे, तब फरियादी के यह कहने पर कि उसके पास पैसे नहीं हैं और न ही वह दारू पीने के लिये पैसे देगा तो भीमसेन उससे बोला मादरचोद जल्दी पैसे दे अगर नहीं दिये तो उसे जान से खत्म कर देगा।

उक्त के संबंध में फरियादी गजेंद्र सिंह द्वारा रिपोर्ट करने पर पुलिस थाना मालनपुर में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/18 अंतर्गत धारा 294, 327 व 506 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया है, जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.02.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक 18 वर्षीय नवयुवक है और मालनपुर जिला भिण्ड का स्थाई निवासी होकर मजदूर के रूप में अपने परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है एवं अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होना भी केस डायरी के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त भीमसेन की ओर से निम्न शर्तों सहित 20,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1.प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2.अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेगा।

3.अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ संबंधित जेएमएफसी न्यायालय को भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद